

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-439/2018

1. तृप्ती बिश्नोई निवासी पुत्री राधाकृष्ण बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
-वादीया

बनाम्

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग मिन जानिब मुदायला
पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं० 2 एफटीपी
जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 खाता सं० 38/88 में कुल 8.475 है० कृषि भूमि में
वादीया के पति अमित बिश्नोई के स्थान पर वादीया के पिता का नाम राधाकृष्ण
बिश्नोई नाम अंकित करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व
रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....
खर्चा मुकदमें के मय भद वा भारह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी
तक 9.8.12.10 अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20/12/10 को
जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी